[निजी प्रसार के लिए]

अंक ३३ नई दिल्ली, नवम्बर २०१२

लोक पुलिस

मासिक पत्रिका

सी.एच.आर.आई. जनतांत्रिक पुलिस के लिए

'उचित लक्ष्यों के लिए भी कानूनों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता'

श्री के.पी.सोमाराजन

केरल के पुर्व डी.जी.पी. एंव वर्तमान पुलिस शिकायत प्राधिकरण के सदस्य श्री के. पी.सोगाराजन से पुलिसिंग सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों पर, ज़ीनत मलिक द्वारा लिए गए साक्षात्कार के कुछ अंश।

सर, सबसे पहले कृपया अपनी सेवा के इतिहास के बारे में पाठकों को संक्षिप्त जानकारी दें।

मैं भारतीय पुलिस सेवा के केरल कैडर से १९७६ में जुड़ा। अपने कार्यकाल के दौरान मुझे ज़िला, कमिश्नरेट, पुलिस रेंज और ज़ोन के आई.जी. का पद संभालने का अवसर मिला। मैं केरल के राज्य ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन का अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक भी रह चुका हूँ और कई वर्षों तक ट्रांसपोर्ट कमिश्नर भी रहा हूँ। इसके अलावा मैं कारागार का सहायक निदेशक भी रहा हूँ और सेवानिवृत के पूर्व दो वर्षों तक मैंने विजिलेंस व भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो के निदेशक का पद संभाला है। फरवरी २०११ में मैं, पुलिस महानिदेशक के पद से सेवानिवृत हुआ हूँ। अभी १० महीनों से मैं केरल के राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण में सदस्य के रूप में कार्यरत हूँ।

आपके विचार में, थाना स्तर पर प्रचलित भ्रष्टाचार की संस्कृति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने की आवश्यकता है?

अधिकतर भ्रष्टाचार, थाने में पनपता है। पुलिस केस दर्ज करने के लिए, किसी आरोपी के विरुद्ध आरोप न लगाने के लिए या किसी अन्य प्रकार की सेवा आदि के लिए भी पैसे लेती है। अर्थात् थाना स्तर पर प्रबल भ्रष्ट प्रचलनों के बारे में कोई दो राय नहीं है। थाने पर प्रचलित इस कुव्यवस्था को दूर करने का केवल एक ही तरीका है कि यहाँ के कार्यों में अधिक पारदर्शिता लाई जाए। थाने द्वारा किये जाने वाले प्रत्येक काम तथा उसमें शामिल कदमों की व्याख्या का उचित प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिए। जनता में उनके अधिकारों के प्रति जागरुकता फैलाने से भ्रष्टाचार के केसों में कमी आएगी। अगर थाना स्तर पर किसी सेवा के लिए पैसे की मांग की जाती है तो पीड़ित को यह ज्ञात होना चाहिए कि वह इसकी शिकायत न केवल वरिष्ठ अधिकारी से कर सकता है बल्कि विजिलेंस अधिकारी और विजिलेंस थाने में भ्रष्टाचार निषेध अधिनियम के अंतर्गत भी शिकायत दर्ज कर सकता है।

सर, आपके विचार में थाना स्तर पर थाना प्रभारी और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किस प्रकार के पर्यवेक्षण की आवश्यकता होती है ताकि जन–संतुष्टि को प्राप्त किया जा सके और पुलिस के कार्य निष्पादन में सुधार हो सके?

पुलिस बल की सफलता एक आनन्दायक कानून व्यवस्था की स्थिति से है जिसमें कम से कम राजनैतिक और धार्मिक मुठभेड़ हों। यह इससे भी जुड़ा होता है कि सम्पत्ति विवाद भी कम से कम हो। इस बिन्दू से केरल पुलिस का कार्यनिष्पादन आदर्श रहा है। राज्य के सामुदायिक पुलिसिंग को संघ गृह राज्य मंत्री ने दूसरे राज्यों को लागू करने की सलाह दी थी।

पुलिस के काम में सबसे अधिक पारदर्शिता से ही पुलिस के कार्य–निष्पादन को बेहतर बनाया जा सकता है। इसके अलावा पुलिस–पब्लिक के घनिष्ठ सम्बन्धों से भी पुलिसिंग के कार्यों में सुधार लाया जा सकता है। केरल में सामुदायिक पुलिसिंग से जनता और पुलिस के बीच जो सम्बन्ध बना है उससे अब जनता, पुलिस तक पहुँचने में झिझकती नहीं है। जनता को अपनी परेशानियों को बांटने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और उसे तुरंत थानाप्रभारी की नज़र में लाया जाता है। थाना स्तर के अधिकारी जैसे – एस.पी., डी.एस.पी., इंस्पेक्टर आदि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है जनता की उम्मीदों को पूरा करने में। इन अधिकारियों को प्रत्येक दिन अपने कार्यालय में लोगों की शिकायतों को सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए।

क्या आपको लगता है कि बल में महिलाओं की संख्या बढ़ाने की ज़रूरत है? क्या इसके लिए सभी स्तरों पर उन्हें आरक्षण दिया जाना चाहिए?

हाँ, मेरे विचार में बल में अधिक संख्या में महिलाओं के आने से इसका स्वरूप अधिक मानवीय होगा। केरल में इनकी संख्या १० प्रतिशत है और प्रत्येक थाने में कुछ महिला पुलिसकर्मियों को अवश्य ही तैनात किया गया है। मेरे विचार में धीरे–धीरे थाने में २५ प्रतिशत तक महिलाओं की तैनाती की जानी चाहिए ताकि थाने तक पहुँचने वाली महिलाओं को इस बात पर विश्वास और बढ़ सके कि वहाँ कोई है जो उनकी बात सुनेगा।

हालांकि, मेरे विचार में सब–इंस्पेक्टर के स्तर से ऊपर तक किसी प्रकार के आरक्षण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि योग्य महिलाएं इसके बगैर ही बल में प्रवेश कर रही हैं। आरक्षण की आवश्यकता कांस्टेबुलरी स्तर पर है।

क्या कानूनों में कोई कमी है जिस कारण पुलिस को उचित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उनका उल्लंघन करना पड़ता है? आप पुलिसकर्मियों को इस संदर्भ में क्या सलाह देना चाहेंगे?

यह ज्ञात है कि पुलिस प्रायः ही अभद्र तरीके से व्यवहार करती है और काम में गैर कानूनी तरीकों का उपयोग करती है, न केवल आरोपी के साथ बल्कि शिकायतकर्ता के साथ भी। ऐसे में पीड़ितों के पास कई विकल्प उपलब्ध हैं जैसे – वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत करना, मानवाधिकार आयोग तथा पुलिस शिकायत प्राधिकरण में इसके विरुद्ध शिकायत दर्ज कराना। देश भर में पुलिस के दुर्व्यवहार के विरुद्ध आवाज उठ रही है और गैर सरकारी संगठनों की इसके लिए ज़िम्मेदारी बढ़ गई है कि वे आम जनता में पुलिस से सम्बन्धित उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाएं ताकि जनता अधिकारों के उल्लंघन पर विरोध कर सके।

पुलिसकर्मी, देश के कानून का पालन करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं। उन्हें कोई अधिकार नहीं कि वे सही मकसद को प्राप्त करने के लिए भी कानूनों को तोड़ें। अगर पुलिस कानून तोड़ रही है तब, सही मकसद जैसी कोई चीज़ नहीं। ऐसी हरकत गैर कानूनी है और इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

बूझो और जीतो–११

प्रिय पाठकों,

लोक पुलिस पत्रिका द्वारा आपके लिए इस रोचक प्रतिस्पर्धा की शुरुआत की गई थी। जिसके अंतर्गत आपसे केवल ५ सवाल पूछे जाते हैं, जो आपके काम से सम्बन्धित होते हैं। आप इसके लिए अपना प्रवेश भेज सकते हैं। २ सही जवाब भेजने वालों को ५०० रुपये पुरस्कार के रूप में डिमाण्ड ड्राफ्ट या चेक द्वारा भेजा जाता है और इन विजेताओं के नाम पत्रिका में प्रकाशित भी किये जाते हैं, अगर सही जवाब भेजने वालों की संख्या अधिक हो तो लकी ड्रा से विजेताओं का नाम निकाला जाता है। कृपया अपने जवाब समय का ध्यान रखते हुए भेजें ताकि आपके जवाब को इसमें सम्मिलित किया जा सके। किसी अंक में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर तीसरे महीने के अंक में प्रकाशित किये जाते हैं।

इस अंक के सवाल निम्नलिखित हैं :–

१. क्या कोई गिरफ्तारी वारंट मौखिक हो सकती है? किस प्रावधान के अंतर्गत वारंट के स्वरूप की व्याख्या की गई है।
२. क्या कोई पुलिस अधिकारी, किसी चोरी की हुई सम्पत्ति को जब्त कर सकता है? यदि 'हां' तब किस प्रावधान के अंतर्गत।
३. क्या पुलिस अधिकारी किसी असंज्ञय अपराध में जाँच शुरू कर सकती है? क्या इसके लिए कोई विशेष प्रक्रिया है?
४. एक निजी व्यक्ति को किसी आरोपी की गिरफ़्तारी का अधिकार किस प्रावधान के अंतर्गत दिया गया है?
५. 'इंक्वेस्ट' किसे कहते हैं?

बूझो और जीतो – ८ का परिणाम

अगस्त २०१२ अंक के परिणाम को इस अंक में प्रकाशित किया जा रहा है। इसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं:–

१. बच्चों के बलात्कार के सम्बन्ध में जाँच, थाना प्रभारी द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज होने के ३ महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। यह प्रावधान दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १७३(१)(१–क) के अंतर्गत २००९ के संशोधन के बाद डाला गया है।
२. द.प्र.सं. की धारा १६५ के अंतर्गत पुलिस अधिकारी जाँच के दौरान विश्वास का उचित आधार होने पर और जिसकी तलाशी करनी है उसकी सूचना लिखित रूप में दर्ज करके, बगैर वारंट घर की तलाशी ले सकता है।
३. द.प्र.सं. की धारा ४२ के अंतर्गत, कोई पुलिस अधिकारी किसी को भी रोक कर उसका नाम, पता पूछ सकता है और उसके द्वारा गलत सूचना देने पर यदि वह असंज्ञय अपराध का आरोपी हो तब, पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है।
४. हाँ, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को विवाह या अन्य किसी मकसद के लिए खरीदना मानव तस्करी का अपराध है जोकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद २३ के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का हनन है। इसके अलावा यह भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३६६ के अंतर्गत विवाह करने के लिए किसी महिला को विवश करना भी है।
५. अगर किसी विचाराधीन कैदी को द.प्र.सं. की धारा २७३ के अंतर्गत स्वंय उपस्थिति से यदि छूट न दी गई हो तब कैदी को शारीरिक रूप से प्रस्तुत किये बगैर मुकदमे की सुनवाई नहीं की जा सकती है। मुकदमे की प्रत्येक तारीख पर आरोपी का अदालत में उपस्थित होना आवश्यक है।

विजेता

१. श्री महेन्द्र कुमार पीपलीवाल, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।

नोट – इस बार केवल एक ही सहभागी के सभी उत्तर सही थे जिन्हें दिसंबर में पुरस्कार की राशी भेज दी जाएगी।अपने जवाब हमें डाक द्वारा प्रेषित करें या ईमेल करें–

ज़ीनत मलिक
प्रधान सम्पादक, ***लोक पुलिस***
कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव
बी-११७, दूसरा तल, सर्वोदय एनक्लेव, नई दिल्ली ११००१७, भारत
फोन : +९१-०११-४३९८०२००, ४३९८०२२५-२६६
फैक्स : +९१-०११-२६८६४६८८
ई–मेल: zeenatmalick@gmail.com
वेबसाईट: http://www.humanrightsinitiative.org

पुलिस सुधार समिति का गठन–क्या प्रभावकारी होगा?

सितम्बर २०१२ को गृह मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय स्तर पर पुलिस सुधार तथा आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों पर अपनी सलाह देने के लिए नौ सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। इस समिति के नौ सदस्यों में चार राज्यों – महाराष्ट्र, तमिलनाडु, असम और जम्मू एंव कश्मीर के पुलिस प्रमुख तथा चार केन्द्रीय पुलिस संगठनों–सी.बी.आई, सी.आर.पी.एफ., बी.एस.एफ., बी.पी.आर. एण्ड डी. के प्रमुख सम्मिलित हैं। दूसरे राज्यों को इस समिति में अगले वर्ष से बारी–बारी अपना प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त होगा।

इसकी घोषणा करते हुए गृह मंत्री श्री सुशील कुमार शिंडे ने पुलिस महानिदेशकों के कांफ्रेंस का उद्घाटन करते हुए बतलाया था कि "मैंने आई.बी. निदेशक की अध्यक्षता में एक नौ सदस्यीय महानिदेशकों की स्थायी समिति का गठन किया है जो पुलिस ऑपरेशन और इसके काम से सम्बन्धित सर्वोत्तम प्रचलनों और स्टैंर्डड ऑपरेटिंग प्रक्रिया पर सलाह देगी और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े किसी भी तत्कालिक मुद्दे पर सिफ़ारिश कर सकेगी।" इस अवसर पर उन्होंने राज्य सरकारों को भी उनकी ज़िम्मेदारियों की याद दिलाते हुए कहा था कि उन्हें केन्द्र के संसाधनों का उचित उपयोग करना चाहिए और नक्सलवाद और आतंकवाद का सामना करने के लिए विशेष क्षमताओं का निर्माण करना चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस सुधार की प्रक्रिया को राज्य सरकारों द्वारा आगे बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। अब तक केवल १४ राज्यों ने अपने पुलिस अधिनियमों में या तो बदलाव किया है या नये अधिनियम पास किये हैं, बाकी राज्यों को भी नये पुलिस अधिनियम बनाने की आवश्यकता है।

उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रकाश सिंह तथा एन.के. सिंह द्वारा पुलिस सुधार पर दायर की गई जनहित याचिका में १० वर्ष के बाद २००६ में दिशा निर्देश दिये गए थे जिसे अगर सभी राज्य सरकारों द्वारा अक्षरतः कार्यान्वित कर दिया जाता तो वर्तमान पुलिस का चेहरा ही भिन्न होता, क्योंकि इन दिशा–निर्देशों में १५० वर्ष पूर्व से चली आ रही शासक पुलिस को ***लोक पुलिस*** में परिवर्तित करने की क्षमता मौजूद है।

हालांकि, प्रकाश सिंह द्वारा दायर याचिका के बाद समय–समय पर कई समितियों का गठन होता रहा है, जिनसे पुलिस सुधार पर उनके सलाह लिये गये, नए पुलिस अधिनियम लागू करने पर सिविल सोसाईटी और दूसरे बुद्धिजीवियों द्वारा एक मत होने के कारण एक बिल तैयार किया गया है जो आज भी संसद में पारित किये जाने के लिए प्रतीक्षाबद्ध है। दरअसल, सरकारों की मंशा ही नहीं है किसी प्रकार के पुलिस सुधार करने की क्योंकि वास्तविक रूप से ऐसा करने पर सरकारों को पुलिस बल को बहुत हद तक स्वतंत्रता देनी होगी जिसके लिए राजनैतिक दल शायद ही कभी हिम्मत जुटा पाएंगे। दूसरा कारण यह है कि यह एक ऐसा मुद्दा नहीं है जिसके लिए किसी भी पार्टी द्वारा जनमत जुटाया गया हो या जनता की ओर से मांग की जा रही हो। जब तक जनता पुलिस में सुधार की मांग को एक अहम मुद्दा नहीं बनाएगी, सुधार नहीं हो पाएगा।

नई सरकारें विशेष वर्ग को प्रसन्न करने के लिए नित नई समितियाँ बनाती रहेंगी और इन्हें पुलिस सुधार करने की अपनी मंशा का सूचक बतालाते हुए अपनी पीठ थपथपाती रहेंगी। यदि ऐसा नहीं है तब, इस पुलिस सुधार समिति के गठन के तकरीबन २ महीने बाद भी इसकी प्रगति के बारे में कोई सूचना पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध नहीं है अर्थात् किसी को इसके द्वारा किसी भी कदम की कोई सूचना प्राप्त नहीं है। अगर यह समिति वास्तविक रूप से पुलिस सुधार और राष्ट्रीय सुरक्षा की बेहतरी के लिए गंभीर है तो न केवल इसे तुरन्त काम पर लगना होगा बल्कि अपनी गतिविधियों की जानकारी का प्रचार व प्रसार इंटरनेट और मीडिया द्वारा करना होगा अन्यथा इसका भविष्य भी पहले गठित अनेकों समितियों जैसा ही होगा।

– ज़ीनत मलिक

जामा तलाशी

जमा तलाशी

गिरफ्तार व्यक्ति की शारीरिक तलाशी जिसमें उसके पहने हुये कपड़े आदि की तलाशी भी शामिल है, को जामा तलाशी कहा जाता है।

कानूनी प्रावधान

धारा ५१, ५२ द०प्र०सं०
गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी ली जायेगी, महिलाओं की तलाशी महिला द्वारा ही शालीनता का ध्यान रखते हुये ली जायेगी। तलाशी में मिले सामान की फर्द बनाकर कब्जा पुलिस में लिया जायेगा, जिसकी एक प्रति गिरफ्तार व्यक्ति को दी जायेगी।

तलाशी का उद्देश्य

(१) गिरफ्तार व्यक्ति के निजी सामान की सुरक्षा व अभिरक्षा हेतु।
(२) पुलिस हिरासत में गिरफ्तार व्यक्ति की सुरक्षा के लिए कभी–कभी अपराधी अपने पास कोई जहरीला पदार्थ या अन्य कोई हथियार जैसे ब्लेड आदि छुपाकर रख लेता है, जिससे वह खुद को या पुलिस कर्मियों को भी नुकसान पहुँचा सकता है।
(३) कोई अवैध वस्तु जैसे चाकू, हथियार या नशीला पदार्थ बरामद कर गिरफ्तारी करने के लिए।

तलाशी लेते समय ध्यान रखने योग्य आवश्यक बातें

(१) व्यक्ति या स्थान की तलाशी स्वतंत्र गवाहों के सामने ली जायेगी।
(२) तलाशी से पहले सम्बन्धित पुलिसकर्मियों एवं गवाहों द्वारा अपनी खुद की तलाशी ली जायेगी।
(३) तलाशी सावधानीपूर्वक ली जायेगी, अपराधी का विश्वास नहीं करना चाहिए।
(४) उग्रवादियों, खतरनाक अपराधियों की तलाशी लेते समय उनके हाथ ऊपर करवा दिये जाने चाहिए और तलाशी ऊपर से नीचे व आगे–पीछे की ओर लेनी चाहिए।
(५) महिलाओं की तलाशी महिला द्वारा ही उनकी शालीनता को ध्यान में रख कर ली जायेगी।

जामा तलाशी व खाना तलाशी के दौरान पुलिसकर्मी की ड्यूटी

विवेचना के दौरान पुलिस किसी स्थान जो अपने क्षेत्र या अन्य किसी क्षेत्र में है, की तलाशी धारा १६५,१६६ द०प्र०सं० के अन्तर्गत लेती है।

तलाशी के प्रकार

(क) बिना वारण्ट तलाशी।
(ख) वारण्ट से तलाशी।
तलाशी के दौरान धारा १०० द०प्र०सं० का पूरा ध्यान रखा जायेगा।

तलाशी के दौरान पुलिसकर्मी के कर्तव्यः

(१) खाना तलाशी के समय तलाशी के विषय में कि क्या तलाश किया जा रहा है की पूर्ण जानकारी होना।
(२) तलाशी में दो या दो से अधिक स्थानीय व निष्पक्ष नागरिक शामिल करने चाहिए।
(३) उपरोक्त गवाहों को पूर्ण कार्यवाही में साथ रखना चाहिए।
(४) कब्जा पुलिस में ली जाने वाली वस्तुओं पर गवाहों के हस्ताक्षर करवाना चाहिए।
(५) तलाशी के लिए स्थान में प्रवेश करने से पहले पुलिस अधिकारी उक्त गवाहों को अपनी तलाशी देगा तथा उपस्थित दोनों गवाहों की तलाशी स्थान मालिक को दे दी जाए।
(६) तलाशी के दौरान उस स्थान को जहाँ उसे लगाया गया है, वह नहीं छोड़ेगा।
(७) गृह स्वामी को तलाशी में साथ रखा जाएगा।
(८) बरामद सामान की सूची (फर्द बरामदगी) बनाई जाएगी जिसकी तीन प्रतियां होंगी, एक प्रति गृह मालिक को मुफ्त में दी जाएगी।
(९) अगर तलाशी जिला गैर में है तो सामान की सूची सम्बन्धित थानाध्यक्ष व इलाका मजिस्ट्रेट को दी जाएगी और अन्वेषक तलाशी की मुख्य प्रति अपने पास रखेगा जो केस फाइल के साथ लगाई जाएगी।
(१०) तलाशी के दौरान शिष्टता का ध्यान रखा जाएगा और महिलाओं की शालीनता को बरकरार रखा जाएगा।
(११) कब्जा पुलिस में लिए गए सामान को सुरक्षित रखते हुये दाखिल माल–खाना कराना चाहिए।
(१२) अगर कोई अपराधी है तो उसको गिरफ्तार करना पुलिसकर्मी का कर्त्तव्य है। वह गिरफ्तार अपराधी को अपनी हिरासत में रखेगा।
(१३) अपराधी अगर खतरनाक किस्म का है और हथकड़ी का प्रयोग हुआ है तो हथकड़ी को पुलिसकर्मी द्वारा सही ढ़ग से लगाया जायेगा एवं चाबी को अपराधी की पहुँच से दूर रखते हुऐ अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखेगा।
(१४) अपराधी को अदालत में ले जाते समय पुलिसकर्मी उसे अपने आगे रखकर हिफाजत से रखेगा।

(सौजन्य : उत्तराखण्ड पुलिस द्वारा हर स्तर पर पुलिसकर्मियों को दी जाने वाली अध्ययन पुस्तिका के कुछ अंश)

हम, ***लोक पुलिस*** के इस अंक में छपे लेखों के बारे में आपके विचार जानना चाहेंगे। कृपया अपने विचार हमें अवश्य भेजें। हम उन्हें आपके नाम या अज्ञात, जैसा आप चाहेंगे, ***लोक पुलिस*** में प्रकाशित करेंगे। आपकी महत्वपूर्ण राय ही बदलाव लाएगी।

क्या आप जानते हैं ?

इस श्रृंखला के अंतर्गत, पिछले अंक से पुलिस के काम में सकलित इंटरनेट पर आधारित सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए विकसित की गई गृह मंत्रालय की एक परियोजना जिसे संक्षिप्त में अंग्रेजी में 'सिपा' कहा जाता है, के बारे में सामान्य जानकारियों को प्रस्तुत किया जा रहा है। इसका दूसरा और अंतिम भाग यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। हमें आशा है कि इस जानकारी के प्रस्तुत करने से पाठकों को, पुलिस द्वारा इंटरनेट और दूसरे वेब पर आधारित और एकत्रित सूचनाओं के आदान प्रदान की पद्धति को समझने में सहायता मिलेगी।

सामान्य संकलित पुलिस उपयोग-कॉमन इंटिग्रेटेड पुलिस ऐपलिकेशन

(गृह मंत्रालय की एक परियोजना)

सॉफ्टवेयर व्यावहारिकता

रजिस्ट्रेशन : यह मापांक ड्यूटी अफ़सर को किसी केस में शिकायतकर्ता, आरोपी, चुराई गई/सम्बद्ध सम्पत्ति, पीड़ितों, घटना का स्थान और समय आदि के बारे में जानकारी ग्रहण करके काम में सहजता प्रदान करता है।

जाँच/अनुसंधान : यह मापांक जाँच अधिकारियों को जाँच में समय-समय पर होने वाली घटनाओं के विकास/प्रगति का रिकॉर्ड रखने में मदद करता है जैसे कि-आरोपी की गिरफ़्तारी /समर्पण, सम्पत्ति की जब्ती, गवाहों के बयान दर्ज करना आदि तथा केस डायरी में तथ्यों को दर्ज करने में भी जाँच अधिकारी की सहायता करता है।

अभियोजन : यह मापांक जाँच अधिकारियों की, अभियोजन के विभिन्न चरणों में समय-समय पर होने वाले विकास/प्रगति का रिकॉर्ड रखने में मदद करता है जैसे कि – केस की सुनवाई, अदालत द्वारा सम्मन/वारंट जारी किया जाना आदि।

सूचना : यह मापांक एक थाने के अधिकारक्षेत्र में आने वाले सभी अपराधियों, सूचिबद्ध गैंग की जानकारी रखने में और समय-समय पर उनके काम के ढंग, पहले किसी केस में सम्मिलित होने के इतिहास आदि के आधार पर प्राप्त जानकारियों को अप्डेट कर सकते हैं।

राज्य विशिष्ट आवश्यकता : इस मापांक द्वारा किसी विशेष राज्य द्वारा आवश्यक कोई अतिरिक्त सामग्री को डाला या निकाला जा सकता है।

जनरल/डेली स्टेशन डायरी : यह थानों द्वारा इसकी डेली डायरी में एकत्रित सूचनाओं को ग्रहित करने में सहायता करता है।

रिपोर्ट/रजिस्टर/पूछताछ : यह विभिन्न स्तरों पर आवश्यक आउटपुट उत्पन्न करता है।

कार्य प्रगति

किसी अपराध के घटित होने से सम्बन्धित सूचना चाहे वह संज्ञय हो या असंज्ञय जैसा कि थानाअध्यक्ष द्वारा दण्ड प्रक्रिया के प्रथम अनुसूची को देखकर जिसमें यह अन्तर किया गया है, अगर व्यक्तिगत रूप से मौखिक तौर पर दिया गया है, इसे लिखा जाता है, शिकायतकर्ता को पढ़कर सुनाया जाता है और उसे एक प्रति दी जाती है। शिकायतकर्ता को लिखित रूप में दी जाने वाली या बाद में लिखी जाने शिकायत पर, दिये जाने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा। तब, इस शिकायत को थाने में दर्ज माना जाएगा।

केस दर्ज होने के बाद, जाँच अधिकारी (आई.ओ.) जिसको केस सौंपा गया है, अपराध स्थल का वीक्षण करता है। वह पीड़ितों, गवाहों का बयान दर्ज करेगा और भौतिक साक्ष्यों को एकत्रित करके उन्हें इग्ज़ीबिट करेगा और प्रत्येक सम्पत्ति को जब्त करने के लिए ज़ब्त मेमो बनाएगा, अपराध का विवरण, अपराध करने का ढंग, अपराध स्थल का स्केच/ड्राईंग बनाएगा, अगर कोई सम्पत्ति चोरी की गई है तो उसका विवरण दर्ज करेगा। अगर पीड़ित व्यक्ति ज़ख्मी अवस्था में है तो मेडिको-लीगल केस बनाया जाएगा ताकि आवश्यक मेडिकल जाँच करवाई जा सके। अगर कोई मुर्दा शरीर बरामद किया जाता है तब आवश्यक पड़ताल की जाती है और लाश का पोस्टमार्टम करवाया जाता है। अगर ज़ब्त की गई सम्पत्ति में एक्सपर्ट की राय की आवश्यकता है जैसे कि हथियार, विस्फोटक, खून के निशान आदि हैं तो इन्हें सीलबंद करके फौरेंसिक साईंस लैबोरेटरी में एक्सपर्ट की राय के लिए भेज दिया जाता है। अपराध स्थल से उठाए गए उंगलियों के निशान को फिंगर प्रिंट ब्यूरो में भेज दिया जाता है। पहली अनुसूची के अनुसार जमानती अपराध में जाँच अधि0 आवश्यक ज़मानतपत्र भरवा कर आरोपी को जमानत पर छोड़ देता है। गैर जमानती केसों में, आरोपी को अदालत में प्रस्तुत किया जाता है। इसे आरोपी की व्यक्तिगत फाईल में दर्ज किया जाता है और अगर आरोपी देश के किसी दूसरे थाने से सम्बन्धित हो, तब उस थाने में भेज दिया जाता है।

जाँच पूरा होने के बाद, जाँच अधि0 द.प्र.सं. की धारा १७३ के अंतर्गत अपनी पुलिस रिपोर्ट/अंतिम रिपोर्ट/चार्जशीट अदालत में अभियोग के शुरू करने के लिए प्रस्तुत करता है और आरोपी को इसकी सूचना देता है।

अदालत में मुकदमे के दौरान, एक कोर्ट केस डायरी तैयार की जाती है जिसमें जानकारियों को दर्ज किया जाता है जैसे कि गवाहों का परीक्षण, अगली सुनवाई की तारीख़, आरोपी/गवाहों को भेजे गये सम्मन/वारंट की जानकारी इत्यादी। अदालत द्वारा केस के समाप्त होने पर निर्णय की विस्तृत जानकारी इसमें दर्ज की जाती है कि क्या दण्ड दिया गया और केस का निष्कासन किस प्रकार हुआ।

सीपा सॉफ़्टवेयर का विकास और राज्यों में रोल आऊट

१. सीपा का विकास एन.आई.सी. के द्वारा होता है। विकास केन्द्र की स्थापना एन.आई.सी. के मुख्यालय, दिल्ली में आवश्यक हार्डवेयर, सॉफ़्टवेयर, नेटवर्किंग और फर्नीचर से स्थापित किया जाता है। सेन्ट्रल डेव्लप्मेंट टीम की स्थापना के लिए एन.आई.सी. से व्यावसायकों, एन.सी.आर.बी. और दिल्ली पुलिस से अधिकारियों को तथा मार्केट से अन्य प्रोग्रामरों को भी लिया जाता है।

२. विकसित सॉफ्टवेयर की, अप्रैल २००५ से नई दिल्ली ज़िले के ६ थानों में पायलट प्रॉजक्ट के रूप में शुरुआत की गई है। इस पायलट प्रॉजेक्ट पर प्राप्त फीडबैक के अनुसार इसमें आवश्यक बदलाव भी किया गया है।

३. राज्य सरकारों द्वारा गठित 'राज्य विकास टीम' जिसमें राज्य एन.आई.सी. युनिट के सदस्य, एस.सी.आर.बी. और पुलिस विभाग के सदस्य होते हैं, केन्द्रीय स्तर पर विकसित सीपा की देखरेख करते हैं, और मौजूदा सॉफ्टवेयर के ढाँचे में केन्द्रीय विकास टीम के निर्देश के अनुसार स्थानीय आवश्यकताओं को विकसित किया जाता है। राज्य विकास टीम को, सॉफ्टवेयर के विकास के लिए प्रोग्रामर उपलब्ध कराये जाते हैं।

४. शुरुआत में, राज्य के १० प्रतिशत चयनित थानों में सीपा सॉफ्टवेयर का कार्यान्वयन (रोल आऊट) किया जाता है। प्रत्येक चयनित थाने में आवश्यक सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक स्थायी तकनीकी व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है। इसके अलावा आवश्यकता पड़ने पर कठिनाईयों को दूर करने के लिए, प्रत्येक १० थानों पर एक वरिष्ठ व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है। किसी राज्य में, हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर की सप्लाई, प्रशिक्षण और सीपा सॉफ्टवेयर कार्यान्वयन और हाथ की सहायता प्रदान करने के लिए सभी थानों के लिए एक ही एजेंसी पर विश्वास किया जाएगा।

५. राज्य में पुलिस आधुनिकीकरण के लिए ज़िम्मेदार आई.जी./डी.आई.जी. या राज्य/एस.सी.आर.बी. प्रमुख की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर सीपा कार्यान्वयन समिति का गठन किया जाता है, इसमें राज्य एन.आई.सी. के एस.आई.ओ. भी एक सदस्य होते हैं। इसी प्रकार एक ज़िला सीपा कार्यान्वयन समिति का गठन, ज़िला पुलिस प्रमुख की अध्यक्षता में किया जाता है और एन.आई.सी. के डी.आई.ओ. इसके एक सदस्य होते हैं।

६. केन्द्रीय विकास टीम, सीपा सॉफ्टवेयर पर राज्य स्तर पर 'सीपा विकास टीम' को प्रशिक्षण प्रदान करती है। ज़िला स्तर की एजेंसी द्वारा भेजे गए सुपरवाईज़र स्तर के व्यक्ति को 'राज्य विकास टीम' से सीपा सॉफ्टवेयर पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जो बदले में ज़िला मुख्यालय में ज़िम्मेदार व्यक्ति को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। उस व्यक्ति पर यह ज़िम्मेदारी होगी कि वह प्रत्येक थाने से नामांकित व्यक्तियों और पर्यवेक्षण अधिकारियों को ऑफिस ऑटोमेशन व सीपा सॉफ्टवेयर पर ऑन जॉब प्रशिक्षण प्रदान करे।

– प्रस्तुति : ज़ीनत मलिक

आपके विचार

महोदया नमस्कार!

आपके द्वारा प्रेषित ***लोक पुलिस*** का सितंबर २०१२ अंक प्राप्त हुआ। महिला पुलिस को समर्पित यह अंक कुछ अलग और अधिक आकर्षक लगा। इसमें प्रकाशित सभी भागों में महिला पुलिसकर्मियों से सम्बन्धित लेखों का समावेश सराहनीय है।

श्रीमती जीजा हरिसिंह का साक्षात्कार बहुत रोचक लगा और महिलाओं के अनुपात को पुलिस बल में बढ़ाने से जो लाभ हो सकते हैं उनको इसके द्वारा अच्छी तरह समझाया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर हर वर्ष महिला पुलिस अधिकारियों के मुद्दों को समझने के लिए इतने व्यापक स्तर पर कांफ्रेंस का आयोजन किया जाता है मुझे तो इसकी जानकारी ही नहीं थी। ऐसे बड़े आयोजनों की जानकारी हमारे स्तर पर मिलनी चाहिए। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ।

सब इंस्पेक्टर, शिमला
हिमाचल पुलिस

सम्पादक जी,
नमस्ते,

लोक पुलिस के महिला विशेषांक में, केरल के पूर्व डी.जी.पी. के समापन भाषण में महिलाओं को जिस प्रकार के कटाक्षों का सामना करना पड़ता है उसका भी उल्लेख किया गया है। यदि गर्भावस्था के दौरान महिला पुलिसकर्मी किसी कारण छुट्टियों की मांग करने लगे तो सहकर्मी या वरिष्ठ अधिकारियों में से कोई न कोई अकसर यह भी कह देता है कि महिलाओं को घर में ही रहना चाहिए खासकर विवाह उपरांत तो नौकरी छोड़ ही देनी चाहिए। ऐसी बातें सुनकर निःसंदेह न केवल मन पर आघात पहुँचता है बल्कि मनोबल भी टूटता है। इस प्रकार की बात कहने वालों को यह तो सोचना चाहिए कि महिलाएं अगर बल में हैं तो कानून के अंतर्गत ही हैं, ऐसी परिस्थिति में अगर वे उनकी उपस्थिति को नकारते हैं तो वह कानून के विरुद्ध हैं।

किसी थाने में महिलाओं को अपेक्षित सम्मान और अवसर प्राप्त होता है कि नहीं यह इस बात पर निर्भर करता है कि थाना प्रभारी का व्यक्तिगत दृष्टिकोण इस संदर्भ में कैसा है। यदि अपने उच्च अधिकारियों को उचित सम्मान देते हुए अधिनस्थ पुलिसकर्मी देखते हैं तो वे भी उसके विरुद्ध जाने का साहस नहीं कर पाते हैं। इसलिए इस संदर्भ में सबसे पहले वरिष्ठ अधिकारियों की मानसिकता सकारात्मक बनाने की आवश्यकता है।

आशा है, इस विषय पर विभिन्न लेखों द्वारा लगातार प्रकाश डाला जाएगा ताकि उचित सुधार हो सके।

धन्यवाद!

हेड कांस्टेबल, उधमसिंह नगर
उत्तराखंड पुलिस

पुलिस समाचार - हर कोने की हलचल

पुलिसकर्मियों के लिए सस्ती दुकानें!

बैंगलोर में, शीघ्र ही पुलिसकर्मियों के लिए विशेष रूप से सस्ती दुकानें उपलब्ध कराई जाएंगी जहाँ से वे और उनके परिवार के लोग दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं की खरीदारी बाज़ार से सस्ते मूल्य पर कर सकेंगे। यह स्टोर हर ज़िले में रक्षा कैन्टीन के आधार पर खोले जाएंगे।

यह जानकारी उप मुख्य मंत्री तथा राज्य गृह मंत्री श्री अशोक ने पुलिस प्रोग्राम में दी।

उन्होंने कहा कि "मैं चाहता हूँ कि जो सुविधाएं रक्षाकर्मियों को उपलब्ध कराई जा रही हैं वही सुविधाएं पुलिसकर्मियों को भी उपलब्ध कराई जाए। मैं उनके लिए स्पेशल स्टोर खोलकर इसे एक वास्तविकता बनाऊंगा। मैंने इसके बारे में गृह विभाग के अधिकारियों से पहले ही बात कर ली है कि इस प्रोग्राम को बगैर विलम्ब के कार्यान्वित किया जाए।"

उन्होंने यह भी कहा कि जो पुलिसकर्मी बगैर समय सीमा के और अपराधों से उग्र परिस्थिति में लड़ रहे हैं, उन पर से काम का दबाव भी कम करने का प्रयत्न किया जा रहा है। ऐसे प्रोग्राम बनाये जा रहे हैं जिससे कि उनके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा और उनके लिए अच्छी रिहाईश की व्यवस्था की जा सके। उनकी कार्य स्थिति में भी सुधार आएगा।

उनके अनुसार तटीय पुलिस बल को भी अधिक तेज़ नावों तथा आधुनिक उपकरणों द्वारा सशक्त बनाया जा रहा है। राज्य पुलिस बल में आधुनिक उपकरणों द्वारा बड़ा बदलाव हो रहा है। साईबर क्राईम पुलिस की अवसंरचना को बेहतर बनाया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने पुलिस में आई.पी.एस. अधिकारी के रूप में अधिक संख्या में इंजिनियरों और दूसरे क्षेत्र से आने वाले लोगों के लिए प्रसन्नता जतलाई और आशा व्यक्त की कि उनकी उपस्थिति से पुलिस बल में आधुनिकता को और अधिक बढ़ावा मिलेगा। आशा है, राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली इस विशेष सेवा से पुलिस का मनोबल बढ़ेगा।

(सौजन्य : डी.एन.ए. इंडिया डॉट कॉम, २२ अक्टुबर २०१२)

महिलाओं के साथ छेड़खानी के विरुद्ध स्पेशल पुलिस जत्था

चंडीगढ़ पुलिस ने अक्टूबर २६ को यौन उत्पीड़न के विरुद्ध एक अभियान शुरू किया था, जिसके बाद पी.सी.आर. को इससे सम्बन्धित औसतन प्रतिदिन ५ शिकायतें मिल रही हैं।

हाल ही में एक १६ वर्षीय लड़की के साथ की जाने वाली छेड़खानी पर उसे अपराधियों ने मारा भी था, इस घटना के बाद आम लोग भी सावधान हो गए हैं। डी.एस.पी. श्री रौशन लाल जो पी.सी.आर. का संचालन कर रहे हैं उनके अनुसार" सेक्टर ४० के लोगों ने उन्हें पत्र लिखकर वरिष्ठ एस.पी. श्री नौनिहाल सिंह से मिलकर इस परेशानी से जुझने के लिए सुरक्षा सलाह मांगी है।"

डी.एस.पी. ने बताया कि 'इस परेशानी से महिलाओं की सुरक्षा के लिए किए गए इस विशेष व्यवस्था की जानकारी उन तक पहुँचाने के लिए हम स्कूल और कॉलेजों में जा रहे हैं। अभी आई.टी. पार्क में व्यावसायिकों के साथ वार्तालाप के बाद हम रिहाईशी ईलाकों में भी जाएंगे'।

इस अभियान की शुरुआत के बाद से केवल १० दिनों के भीतर महिलाओं के १६२ फोन आ चुके हैं जिसमें उन्होंने नवयुवकों और अधेड़ उम्र के व्यक्तियों द्वारा उनकी अस्मिता और सम्मान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश के विरुद्ध शिकायत दर्ज करवाई है।

पुलिस द्वारा इस विषय पर व्याख्यान के अलावा, नौजवान पुलिस अधिकारियों के १० जत्थे बनाये गये हैं जोकि शहर में स्कूल और कॉलेजों के इलाके में ऐसी घटनाओं पर नज़र रखेंगे। इस अभियान की इंचार्ज महिला पुलिस इंस्पेक्टर हरजीत कौर को स्थानीय लोगों और पीड़ितों द्वारा घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग भी दी गई है।

अधिकारियों ने बतलाया कि "हमने ऐसे २७० लड़कों को चालान जारी कर दिया है जो स्कूल, कॉलेजों और बाज़ारों में घूमकर महिलाओं को परेशान करते हुए पाए गये।"

जब भी कोई एक केस उजागर होता है और लोगों का ध्यान इसकी ओर जाता है केवल तभी पुलिस इसके रोकथाम के लिए काम करती है जबकि महिलाओं तथा दूसरे संवेदनशील वर्ग के विरुद्ध अपराधों को रोकने के लिए उनके घटित होने के पहले ही व्यापक प्रबन्ध किये जाने चाहिए। साथ ही, किसी अभियान को जितनी तीव्र गति से शुरू किया जाता है उसकी गति को लगातार वैसे ही कायम रखना चाहिए तभी उचित परिणाम मिल सकते हैं और अपराधों को वास्तविक रूप से रोका जा सकता है अन्यथा अपराधी, पुलिस की कार्यशैली के अनुरूप अपनी गतिविधियों को घटाते बढ़ाते रहेंगे।

(सौजन्य : इंडियन एक्सप्रेस डॉट कॉम, ५ नवंबर २०१२)

पुलिस बल में मुसलमानों का अनुपात- अपर्याप्त!

हाल ही में, गृह मंत्रालय में सूचना के अधिकार के अंतर्गत आवेदन डालकर विभिन्न राज्यों में पुलिस बल में मुसलमानों की उपस्थिति के बारे में जानकारी मांगी गई। इसके अंतर्गत जो डाटा प्राप्त हुआ है उसके अनुसार गुजरात में, पुलिस बल में मुसलमानों की संख्या सबसे अधिक है यहाँ तक की यह संख्या प्रदेश में मुसलमानों की जनसंख्या के अनुपात ९.१ % से भी अधिक है। जबकि ११ राज्यों ने कई बार याद दिलाने पर भी यह डाटा गृह मंत्रालय को नहीं भेजा।

गुजरात के ५०१ थानों में कुल ४७,४२४ पुलिसकर्मियों में से ५,०२१ पुलिसकर्मी मुस्लिम समुदाय से हैं। राज्य में औसतन हर थाने में १० मुस्लिम पुलिसकर्मी मौजूद हैं जोकि देश में किसी भी स्थान पर सबसे व्यापक आँकड़ा है। गुजरात के अलावा ओडिशा एक मात्र ऐसा राज्य है जहाँ बल में मुस्लिम पुलिस की संख्या का अनुपात इसकी जनसंख्या के अनुपात से अधिक है।

हालांकि, असम और केरल में मुस्लिम जनसंख्या बहुत अधिक है लेकिन उसके अनुपात में मुस्लिम पुलिसकर्मियों की भर्ती नहीं की गई है।

केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा मुस्लिम पुलिसकर्मियों के संदर्भ में एकत्रित आँकड़ा, १६ अक्टूबर २०१२।

१. थानों में नियुक्त मुस्लिम पुलिसकर्मियों की संख्या (६ मुख्य राज्यों में) गुजरात–५०२१,
असम–२२१०,
केरल–२२१०,
पश्चिम बंगाल–२०४८,
तमिल नाडू–१२०६,
राजस्थान–६३०
२. थानों में नियुक्त कुल मुस्लिम पुलिसकर्मियों के अंश का प्रतिशत
असम–२१.५ %
केरल–११.६ %
गुजरात–१०.६ %
पश्चिम बंगाल–८.४ %
झारखंड–६.४ %
राजस्थान–३.६ %
३. इन राज्यों में मुस्लिम जनसंख्या का अनुपात (२००१ की जनगणना के अनुसार)
असम–३०.९ %
पश्चिम बंगाल–२५.२ %
केरल–२४.७ %
झारखण्ड–१३.८ %
गुजरात–९.१ %
राजस्थान–८.५ %
४. मुस्लिम जनसंख्या, देश की कुल जनसंख्या का १३.४ % है (२००१ की जनगणना के अनुसार)।
५. राज्यों – उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, जम्मु–कश्मीर, हरियाणा, उत्तराखण्ड, मिज़ोराम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश ने केन्द्र के साथ इस विषय पर आँकड़े नहीं बांटे हैं।

यह आंकड़े इसलिए अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि देश में मुसलमानों की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति पर एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करने के लिए मार्च २००५ में एक कमिटि का गठन किया गया था जिसने अपनी रिपोर्ट नवम्बर २००६ में जमा की थी, इसे सचर कमिटी रिपोर्ट भी कहते हैं। इस रिपोर्ट में पुलिस पर मुसलमानों के विश्वास को बढ़ाने के लिए इस बात की सिफारिश की गई थी कि थानों में अधिक मुस्लिम पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। राज्यों द्वारा प्राप्त आँकड़ों से यह ज्ञात होता है कि इस महत्वपूर्ण सिफारिश का कार्यान्वयन नहीं किया गया है। जिन ११ राज्यों ने अपने बारे में सूचना नहीं दी है उनके वास्तविक आँकड़ों की जानकारी अभी ज्ञात नहीं हुई है लेकिन इससे उनकी मंशा स्पष्ट मालूम पड़ती है जोकि इस संदर्भ में नकारात्मक ही होगी।

अगर देश में पुलिसिंग को लोक पुलिस की छवि दिलवानी है तो इसमें सभी समुदायों का प्रतिनिधित्व स्पष्ट रूप से लाना होगा, ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि बल को सभी समुदायों की उचित भागीदारी प्राप्त है। आशा है, राज्य सरकारें इस ओर अति शीघ्र ध्यान देंगी।

(सौजन्य : टाईम्स ऑफ इंडिया डॉट इंडिया टाईम्स डॉट कॉम, १२ नवंबर, २०१२)

सी.एच.आर.आई., नई दिल्ली कार्यालय
प्रधान सम्पादक : ज़ीनत मलिक, बी-१७७, दूसरा तल, सर्वोदय एन्कलेव, नई दिल्ली-११००१७, भारत
टेली : ९१ ११ ४३१८ ०२००, फैक्स : ९१ ११ २६८६४६८८, info@humanrightsinitiative.org, www.humanrightsinitiative.org